Salaries	Rs: 16.92.650.00
Allowances including Daily Allowances, Sumptuary Allowances, Constituency Allowances	Rs. 52.33.660.00
Travelling Expenditure	Rs. 34.86.06.200.00

Information relating to expenditure on Telephones and other perks is not centrally maintained as these are met by the respective Ministries.

Tapping of Telephones of Chief Election Commissioner

@'1701. SHRI N.E. BALARAM: SHRI CHATURANAN MISHRA: SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Times of India dated 18th October, 1993 to the effect that the telephones of Chief Election Commissioner Shri Seshan arc being tapped;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any steps were taken to investigate the serious allegations made; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The Government is aware of the news item. No telephone of the Chief Election Commissioner was being monitored or tapped.

(c) and (d) Do not arise.

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश

1702. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जनसंख्या की दृष्टि से ईसाई बहुल राज्य हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अन्य राज्यों के लोग वैध परमिट प्राप्त किये बिना इन तीनों राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकते;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार की उक्त नीति देश की एकता और समरसता के विरुद्ध है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार की उक्त नीति के कारण उपर्युक्त तीनों राज्यों में गैर-ईसाई जनता में भारी असंतोष व्याप्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी, हां

(ख) मेघालय और नागालैंड के दीमापुर क्षेत्र में अन्य राज्यों के लोगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी नागालैंड और मिजोरम के अन्य भागों में प्रवेश के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को बंगाल इस्टर्न फ्रन्टीयर विनियम, 1873 (जिसे आमतौर पर इनर लाइन रेगुलेशन के रूप में जाना जाता है) के अधीन ये अधिकार प्राप्त हैं कि वे भारत के सभी नागरिकों को या ऐसे नागरिकों के किसी वर्ग को अथवा इनमें रहने वाले किसी व्यक्ति या इन जिलों से होकर जाने वाले किसी व्यक्ति को "इनर लाईन" से आगे जाने के लिए ऐसे जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों और मुहर के साथ जारी पास के बिना प्रवेश देने से मना कर सकती है।

(ग) और (घ) ये विनियम सैकड़ों वर्षों से लागू है। इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन विनियमों से नागरिकों के देश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के अधिकारों का हनन होता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी संगठन

1703. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के पूर्वोत्तर भाग के सात राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में आज तक कितने आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं तथा ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को समाप्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और ये कदम कहां तक सफल रहे हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूहों में से कुछ इस प्रकार हैं:

1. यूनाइटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (अल्फा)।

@Previously Unstarred, Question No. 422, transfer from 7.12.93.

2. बोडो सिक्यूरिटी फोर्स (बी०डी०एस०एफ०)।
3 पीपल्स लिबरेशन आर्मी।
4. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक।
5. कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी।
6. यूनाइटिड नेशनल लिबरेशन फ्रंट।
7. हमार पीपल्स कन्वेंशन (एच०पी०सी०)।
8. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (मुईवाह आइसैक)।
9. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (खापलांग)।
10. नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा।
11. आचिक लिबरेशन मातग्रिक आर्मी (ए०एल०एम०ए०)।

(ख) किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन, इनमें से कुछ संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करना, सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह विरोधी अभियान चलाना, इन संगठनों के सदस्यों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। बशर्ते कि वे हिंसा त्याग दें और भारत के संविधान का अनुसरण करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र "सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958" के अधीन अब भी "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित बने हुए हैं जिससे कि उग्रवादी गिरोहों की हिंसक गतिविधियों को रोका जा सके। इन उपायों से उग्रवादियों की भारी संख्या में गिरफ्तारी और उनके द्वारा आत्म समर्पण किए जाने और साथ ही उनसे भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बारूद की बरामदगी के रूप में प्रशंसनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।

CBI inquiry into Daman Land Scam

1704. SHRI RAM SINH RATHWA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased state:

(a) whether Government has seen newspaper report appearing in the Hindustan Times, New Delhi dated the 7th September 1993 titled "CBI" inquiry into Daman Land Scam;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that Administrators and several other senior officers of Daman and Diu and Dadra and Nagar Havcli administration are involved in the multi-crore land scam; and

(d) if so, what action is being taken against these corrupt officers including the Administrator of these UTs in order to tone up the administration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) Yes, Sir. Allegations relate to wrongful conversion of agriculture land by preparing two different versions of the Regional Plan of Daman with a view to benefit certain individuals.

(c) and (d) The Architect and Town Planner has been- placed under suspension. A case has been registered against the then Collector Daman, the Architect and Town Planner and, fiye private individuals regarding alleged irregularities in giving permission for non-agricultural use of the land.

Pending applications of freedom fighters from Bihar for grant of pensions

1705. SHRL S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased state:

(a) how many applications for the grant of freedom fighters pension are at present pending with the Government pertaining to the freedom fighters from the State of Bihar and out of them how many are pending for more than one year with details thereof;

(b) what arc the reasons for keeping these cases pending; and

(c) by when all these freedom fighters from Bihar will be granted pension by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) All applications for grant of freedom fighters pension from the applications in the State of Bihar received so far have been examined and decisions communication to the applicants at least once. Aggrieved with the decision of the Government, the